बिहार सरकार

अनुमंडल, कार्यालय, पालीगंज (पटना)।

(आपूर्ति शाखा)

प्रेस–विज्ञप्ति

जिला आपूर्ति शाखा, पटना के पत्रांक 488/आ0, दिनांक 05.03.2021 द्वारा पालीगंज अनुमण्डल अन्तर्गत उचित मूल्य की नई अनुज्ञप्ति से संबंधित रोस्टर के अनुमोदनोपरान्त दिये गये निर्देश के आलोक में अनुमंडल, पालीगंज के जन वितरण प्रणाली के दुकानों की **कुल– 17 (सतरह) रिक्तियों** को भरने हेतु संबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

01. **आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्म :–** पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची–01 तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियॉं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियॉं से विहित अनुसूची–02 में **अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज (पटना) के कार्यालय अवधि में दिनांक 30 अप्रैल 2021 की संध्या पॉंच बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा।** जिस रिक्त के विरूद्ध आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
02. **आयु/शैक्षणिक योग्यता** :– (क) न्यूनतम आयु 18 वर्ष, (ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – मैट्रिक पास (ग) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
03. **उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ** :–
   (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे। (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगें। (ग) आटा चक्की की मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। (घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) के अधिन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी। (च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
04. **चयन प्रक्रिया** :– सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जॉंच संबंधित पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। जॉंचोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिलास्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। जिलास्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त अनुशंसित आवेदकों को मो0 1000/– (एक हजार) रूपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।
05. पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानो की कोटिवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रोस्टर बिन्दु संख्या	रिक्ति का आरक्षण कोटि
01.	02.	03.	04.	05.
1	बिक्रम	विरधौर बेरर कटारी	267	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(महिला)
2		विरधौर बेरर कटारी	268	अनुसूचित जाति
3		पतुत	269	अनारक्षित
4		दतियाना	270	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
5		सैदाबाद कनपा	271	अनारक्षित

अनुमंडल, कार्यालय, पालीगंज (पटना)
(आपूर्ति शाखा)
प्रेस–विज्ञप्ति

जिला आपूर्ति शाखा, पटना के पत्रांक 488/आ0, दिनांक 05.03.2021 द्वारा पालीगंज अनुमण्डल अन्तर्गत उचित मूल्य की नई अनुज्ञप्ति से संबंधित रोस्टर के अनुमोदनोपरान्त दिये गये निर्देश के आलोक में अनुमंडल, पालीगंज के जन वितरण प्रणाली के दुकानों की कुल–17 (सतरह) रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

01. आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्म :– पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची–01 तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची–02 में अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज (पटना) के कार्यालय अवधि में दिनांक 30 अप्रैल 2021 की संध्या पाँच बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। जिस रिक्त के विरूद्ध आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

02. आयु/शैक्षणिक योग्यता :– (क) न्यूनतम आयु 18 वर्ष, (ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – मैट्रिक पास (ग) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

03. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :–
(क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे। (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे। (ग) आटा चक्की की मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। (घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) के अधिन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी। (च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

04. चयन प्रक्रिया :– सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। जाँचोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिलास्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। जिलास्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त अनुशंसित आवेदकों को मो0 1000/– (एक हजार) रूपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानो की कोटिवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रोस्टर बिन्दु संख्या	रिक्ति का आरक्षण कोटि
01.	02.	03.	04.	05.
1	बिक्रम	विरधौर बेरर कटारी	267	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(महिला)
2		विरधौर बेरर कटारी	268	अनुसूचित जाति
3		पतुत	269	अनारक्षित
4		दतियाना	270	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
5		सैदाबाद कनपा	271	अनारक्षित
6		वजीरपुर	272	पिछड़ा वर्ग
7		वजीरपुर	273	अनारक्षित (महिला)
8		वजीरपुर	274	अनुसूचित जाति
9		नगहर	275	अनारक्षित
10	दुल्हिन बाजार	काब	276	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
11		काब	277	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
12		राजीपुर	278	अनुसूचित जाति (महिला)
13		राजीपुर	279	अनारक्षित (महिला)
14		सेल्हौरी बेल्हौरी	280	पिछड़ा वर्ग
15		सेल्हौरी बेल्हौरी	281	अनारक्षित
16		भरतपुरा	282	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
17		भरतपुरा	283	अनारक्षित

नोट :–

01. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) तीन प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में चिपकाना होगा।
02. आवेदक को अपना मोबाईल/दुरभाष संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
03. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत/वार्ड नम्बर का नाम लिखना होगा। जिस पंचायत/वार्ड नम्बर के लिए वह आवेदन कर रहे है।
04. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
05. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र/EWS प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
06. संबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
07. एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दी जायेगी।
08. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते है, उसका खाता, खेसरा एवं रकवा से संबंधित खतियान/केवाला तथा अद्यतन लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
09. सक्षम पदाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्ति संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा जिले/अनुमण्डल के अधिकृत वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट **State.bihar.gov.in/prdbihar** पर देखा जा सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी
पालीगंज (पटना)

PR. No. 00090 (District) 2021-22

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु 24x7 Toll Free No.: 104 पर संपर्क कर सकते हैं।